दिनांक 30.04.2026 को जिलाधिकारी महराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन–हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्तः–

दिनांक 30.04.2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महराजगंज, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महराजगंज, सहायक अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महराजगंज, सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम. सी.प्रोजेक्ट महराजगंज, प्रोजेक्ट इंजीनियर मेसर्स रिथविक–कोया (जे.वी.) महराजगंज, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU आदि उपस्थित रहे।

बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है–

(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज–2):–

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 1 परियोजना मा0 उच्च न्यायालय एवं 4 मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक को–आर्डिनेटर (DPMU) को सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि विवादों का निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि मैनपावर की पर्याप्त संख्या बढ़ाते हुये O&M हेतु माह मई में कुल 35 नग तक योजनाऐं ले जाये, जिससे O&M हेतु निर्धारित प्रियारिटी लक्ष्य 200 योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य पूर्ण किया जा सके। साथ ही अग्रिम बैठक से पूर्व 80 राजस्व ग्रामों में रेगुलर वाटर सप्लाई बडाये जाने के निर्देश दिये गये।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत की गयी धनराशि को 5 कटेगरी में विभाजित किया गया है, जो निम्नवत है–

1. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व संचालन एवं अनुरक्षण की श्रेणी में है।
2. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में है।
3. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में जानी है।
4. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य है।
5. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 81 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फेज–2 के अन्तर्गत 341 योजनाओं के सापेक्ष कटेगरी–1 में 26 योजनायें, कटेगरी–2 में 35 योजनायें, कटेगरी–3 में 83 योजनायें, कटेगरी–4 में 27 योजनायें एवं कटेगरी–5 में 29 योजनायें है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चयनित 200 योजनाओं का वर्क प्लान अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुये योजनाओं को माह–जून 2026 तक पूर्ण कराते हुये

कटेगरी–1 में ले जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अग्रिम बैठक में योजनाओं में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या को भी अंकित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाहीः–परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महराजगंज

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) **(JJM फेज–3)**ः– कोया

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 3 परियोजना मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है तथा 2 परियोजना राजस्व विभाग/चकबंदी में होने के कारण लम्बित है। जिसके सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक को–आर्डिनेटर (DPMU) को सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि विवादों का निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि मैनपावर की पर्याप्त संख्या बढ़ाते हुये O&M हेतु माह मई में कुल 11 नग तक योजनाऐं ले जाये, जिससे O&M हेतु निर्धारित प्रियारिटी लक्ष्य 79 योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य पूर्ण किया जा सके। साथ ही अग्रिम बैठक से पूर्व 40 राजस्व ग्रामों में रेगुलर वाटर सप्लाई बडाये जाने के निर्देश दिये गये।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत की गयी धनराशि को 5 कटेगरी में विभाजित किया गया है, जो निम्नवत है–

1. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व संचालन एवं अनुरक्षण की श्रेणी में है।
2. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में है।
3. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में जानी है।
4. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य है।
5. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 81 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फेज–3 के अन्तर्गत 205 योजनाओं के सापेक्ष कटेगरी–1 में 5 योजनायें, कटेगरी–2 में 9 योजनायें, कटेगरी–3 में 23 योजनायें, कटेगरी–4 में 21 योजनायें एवं कटेगरी–5 में 21 योजनायें है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चयनित 79 योजनाओं का वर्क प्लान अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुये योजनाओं को माह–जून 2026 तक पूर्ण कराते हुये कटेगरी–1 में ले जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अग्रिम बैठक में योजनाओं में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या को भी अंकित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाहीः–परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0)– कोया/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग, महराजगंज

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) **(JJM फेज–3)**ः– रिथविक

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष 2 परियोजनायें मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक को–आर्डिनेटर (DPMU) को सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि विवादों का निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि मैनपावर की पर्याप्त संख्या बढ़ाते हुये O&M हेतु माह मई में कुल 19 नग तक योजनाऐं ले जाये, जिससे O&M हेतु निर्धारित प्रियारिटी लक्ष्य 94 योजनाओं को शीघृ पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य पूर्ण किया जा सके। साथ ही अग्रिम बैठक से पूर्व 60 राजस्व ग्रामों में रेगुलर वाटर सप्लाई बडाये जाने के निर्देश दिये गये।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत की गयी धनराशि को 5 कटेगरी में विभाजित किया गया है, जो निम्नवत है–

1. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व संचालन एवं अनुरक्षण की श्रेणी में है।
2. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में है।
3. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में जानी है।
4. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य है।
5. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 81 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फेज–3 के अन्तर्गत 174 योजनाओं के सापेक्ष कटेगरी–1 में 3 योजनायें, कटेगरी–2 में 16 योजनायें, कटेगरी–3 में 18 योजनायें, कटेगरी–4 में 39 योजनायें एवं कटेगरी–5 में 18 योजनायें है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चयनित 94 योजनाओं का वर्क प्लान अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुये योजनाओं को माह–जून 2026 तक पूर्ण कराते हुये कटेगरी–1 में ले जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अग्रिम बैठक में योजनाओं में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या को भी अंकित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाहीः–परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) – रिथविक/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महराजगंज

(4) मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 TPIA:– डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में पिछली बैठक से वर्तमान तक प्रस्तुत की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है–

S.No.	Name of Agency	Critical NC	Compliance	Pending
1	JMC Project	74	70	4
2	Ritwik	44	37	7
3	Koya	39	26	13
	Total -	**157**	**133**	**24**

अधोस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे राजस्व ग्राम जिनके रोड रेस्टोरेशन का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है की सूची बनाते हुये कराये गये कार्यो की विडियोग्राफी अग्रिम बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही उक्त की कापी सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाहीः– परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महराजगंज/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(5) मेसर्स आर0वी0एशोसिएट्स (जे0वी0) निप्पोन कोई DPMUः– अधोहस्ताक्षरी द्वारा डिस्ट्रिक क्वार्डिनेटर को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर साथ भूमि विवाद से सम्बन्धित समस्त प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त करते हुये भूमि विवादों को अगली मासिक बैठक से पूर्व प्रकरण निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः– डिस्ट्रिक क्वार्डिनेटर (DPMU)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(6) अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0) खण्ड, जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुरः– अधोहस्ताक्षरी द्वारा वि0/यॉ0 खण्ड के सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि वि0/यॉ0 कार्यो से सम्बन्धित कार्यो का विवरण–जैसे विद्युत पोल, तार, ट्रासफार्मर, विद्युत मीटर, विद्युत संयोजन/इनरजाईज आदि अधिष्ठापन की सूची अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महराजगंज को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जिससे योजनाओं के अधूरे कार्यो को प्राथमिकता तय करते हुये ससमय पूर्ण किया जा सके।

(कार्यवाहीः– अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर)

(7) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महराजगंजः– अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महराजगंज को निर्देश दिया गया कि सहायक अभियन्ता वि0/यॉ0 खण्ड गोरखपुर से पेयजल योजनाओं पर कराये गये विद्युत संयोजन/इनरजाईज के अधूरे कार्यो की प्राप्त सूची के अनुसार प्राथमिकता तय करते हुये ससमय योजनाओं पर विद्युत संचालन अगली मासिक समीक्षा बैठक से पूर्व विशेष रूप अवशेष विद्युत संयोजन कार्य विद्युत मीटर के साथ अधिष्ठापित करने हेतु निर्देशित किया गया। ऐसी योजनायें जिनमें सिविल कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुकें जिसकी सूची जल निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी है उनमें विद्युत सम्बन्धी समस्त कार्यो को पूर्ण कराकर विद्युत आपूर्ति अविलम्ब पूर्ण कराया जाये।

(कार्यवाहीः– अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, महराजगंज

(8) सोर्स सस्टेनिबिलीटी रिपोर्ट से सम्बन्धित बिन्दुः– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) महराजगंज द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ के स्तर पर होने वाली विभिन्न समीक्षा बैठकों में प्रत्येक जनपद में समस्त पेयजल स्रोतो के स्थाईत्व एवं सुरक्षा (सोर्स सस्टेनिबिलीटी रिपोर्ट) हेतु ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया, जिसे संस्तुत करते हुये मुख्यालय भेजने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महराजगंज)

(महेन्द्र कुमार सिंह)
आई0ए0एस0
मुख्य विकास अधिकारी
महराजगंज।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, महराजगंज

पत्रांकः / / दिनांकः / /2026

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, महराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महराजगंज।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महराजगंज।
6. अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स मैं0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), कोया–महराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), रिथविक–महराजगंज।
10. मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्डिनेटर (DPMU) महराजगंज।

Digitally signed by
Mahendra kumar singh
Date: 16-05-2026
18:12:17
मुख्य विकास अधिकारी
महराजगंज।